BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

IN THE MATTER OF:
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GONDA	
2.	A COPY OF THE FURTHER ACTION TAKEN REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF LETTERS DATED 19.02.2025 AND 28.02.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 04/03/2025
PLACE: NOIDA

NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

IN THE MATTER OF:
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

FURTHER ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GONDA

I, Neha Sharma, aged about 40 years, W/o Shri Darpan Amravanshi, currently posted as District Magistrate, Gonda, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Neha Sharma, District Magistrate of Gonda, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains the determination/demarcation of the Flood Plain Zone of Tedhi River to identify and assess the encroachment in the flood plain area.

3. That the Hon'ble Tribunal vide Order dated 18.10.2024 directed the Deponent to ensure the demarcation and identification of the flood plain zone of River Tedhi and submit a compliance Report.

NOTARY K.P. Yadav Regn. No. 4123 GOVT. OF INDIA

4. That in compliance of the above- mentioned order, the Deponent submitted the compliance report dated 15.01.2025 wherein the Hon'ble Tribunal has been apprised regarding the actions taken.

5. That in addition to the action/compliance report submitted by the Deponent dated 15.01.2025, further action taken is being submitted herein.

   A copy of the further action taken report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That for the delineation of the Flood Plain Zone (hereinafter referred to as "FPZ"), NIH, Roorkee was requested to provide their technical assistance and expertise. Consequently, NIH has submitted a proposal, and a payment of Rs.17.70 lakhs (out of a total estimated cost of Rs.29.50 lakhs) was made on 21.12.2024. Thereafter, NIH initiated their work process. It has been informed by the NIH that the final report would be submitted by June 2025.

7. That for the delineation of the FPZ, NIH has recommended the use of High-Resolution Digital Elevation Model (DEM) data. It is submitted that the aforementioned data is to be provided by the Survey of India. That the State Government has sanctioned an amount of Rs.134.64 lakhs and the same has been received by the Irrigation Department. The aforementioned amount will be paid to Survey of India for their services upon the receipt of proforma invoice from Survey of India, and the data will be acquired. Additionally, Survey of India has provided Global Navigation Satellite System (GNSS) data of 3-5 meters accuracy and will supply the 1-meter DEM data after necessary processing.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

8. That for the DEM data, a field survey of the Tedhi River area is to be conducted by the Survey of India. With regards to the same, letters dated 19.02.2025 and 28.02.2025 have been issued by the Executive Engineer, Irrigation Department, Gonda for the execution of the survey for the floodplain zoning and collection of the 1-meter DEM data. Survey of India was requested to commence the DEM processing at the earliest for the compliance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

   A copy of letters dated 19.02.2025 and 28.02.2025 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

9. That during telephonic discussions, office of UP Geospatial Directorate, Lucknow, informed that the survey work is scheduled to commence from 03.03.2025, and a dedicated survey team had been formed for the same.

10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P. Yadav Reg. No.4123 GOVT. OF INDIA

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 4th day of MARCH, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P.Yadav Regd. No.4123 GOVT OF INDIA

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

4 MAR 2025

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0–402/2024 धिर्राऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वाद संख्या ओ0ए0–402/2024 के दिनांक 16.09.2024 के आदेश में टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) अधिकरण आदेश, 2016 के क्रम में लगाने के आदेश जारी किये गये है। उक्त वाद में दिनांक 18.10.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 15.01.2025 तक टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन का सीमाकंन कर दिनांक 17.01.2025 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये। उक्त प्रकरण में दिनांक 04.03.2025 को निर्धारित सुनवाई की तिथि हेतु Response/Reply का आलेख निम्नवत है :–

1. टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग के सम्बन्ध में **निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड** को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में संस्थान की विशेषज्ञता तथा विषयगत कार्य हेतु प्रोफार्मा बीजक की वॉछना की गयी थी। जिसके क्रम में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की (NIH) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0 29.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत **धनराशि रू0. 17.70 लाख** का भुगतान दिनांक 21.12.2024 को किया जा चुका है तत्पश्चात राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन के सीमाकंन कार्य की प्रगति आख्या उपलब्ध करायी गई है। प्रगति आख्या में NIH, Roorkee द्वारा उक्त कार्य हेतु अन्तिम आख्या जून 2025 तक उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया है।
2. टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु NIH, Roorkee ने हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) की वांछना की है जिसे सर्वे आफ इण्डिया (निदेशक यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ) के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 01 मीटर (DEM) उपलब्ध कराने हेतु निदेशक यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सापेक्ष धनराशि रूपये 134.64 लाख खण्ड को प्राप्त हो चुका है, जिसे सर्वे आफ इण्डिया ने अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि इस विभाग में परियोजना हेतु निधि प्राप्ती के लिए वित्तीय तंत्र की प्रक्रिया प्रगति में है। इसके लिए प्राधिकार का पत्र अथवा सिविल जमा खाता के द्वारा भुगतान किया जाना है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त के अतिरिक्त सर्वे आफ इण्डिया ने 03 से 05 मी0 कन्टूर इन्टरवल का जी0आई0एस0 डेटा उपलब्ध करा दिया है तथा 01 मी0 कन्टूर इन्टरवल का मैप एवं हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) ड्रोन सर्वे के बाद उनके द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) उपलब्ध कराने हेतु सर्वे आफ इण्डिया द्वारा टेढ़ी नदी के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, गोण्डा ने अपने पत्र संख्या–172/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 19.02.2025 द्वारा टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु सर्वेक्षण कार्य के लिए भुगतान हेतु बीजक (खाता संख्या सहित) उपलब्ध कराने की वांछना की गयी तथा हाई रिजोल्यूशन DEM हेतु ड्रोन सर्वे के कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने का अनुरोध किया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–214/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 28.02.2025 द्वारा टेढ़ी नदी के सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने हेतु निदेशक यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। निदेशक यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ से दूरभाष पर वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि सर्वेक्षण कार्य दिनांक 03.03.2025 को प्रारम्भ करा दिया जायेगा, उक्त कार्य हेतु सर्वेक्षण टीम का गठन कर दिया गया है।

01.03.2025
अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, गोण्डा

E:\Computer_Operator\Camp.doc

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-2

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
जनपद–गोण्डा।
पिन–271001,
ईमेल–eesaryudrainagekhand1@gmail.com

प्रेषित,

निदेशक,
यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय
गोमतीनगर लखनऊ।

पत्रांकः– **214** /स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/ दिनांक–**28.02.2025**

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0–402/2024 घिर्राऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–172/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0, दिनांक 19.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु आवश्यक हाई रिजोल्यूशन DEM हेतु ड्रोन सर्वे का कार्य अभी तक आप द्वारा प्रारम्भ नहीं कराया गया है। उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि 04.03.2025 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद में कोई भी विषम स्थिति उत्पन्न न हो तथा उक्त कार्य के भुगतान हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपने विभाग का बीजक (खातासंख्या सहित) उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण ससमय पूर्ण कराया जा सके।

28/02/2025

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा

पत्रांकः– /स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना–प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पचंदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा

E:\Computer_Operator\Camp.doc

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
जनपद–गोण्डा।
पिन–271001,
ईमेल–eesaryudrainagekhand1@gmail.com

प्रेषित,

निदेशक,
यू0पी0 भू–स्थानिक निदेशालय
गोमतीनगर लखनऊ।

पत्रांकः–172/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/ दिनांक–19/02/ 2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0–402/2024 घिर्राऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या–149/39–C-ED (Court Case), दिनांक 08.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय का पत्र संख्या–22/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 07.01.2025 द्वारा टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के लिए भुगतान हेतु बीजक (खाता संख्या सहित) उपलब्ध कराने की वांछना की गयी थी, जो अभी तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है और हाई रिजोल्यूशन DEM हेतु ड्रोन सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि 04.03.2025 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ करे, जिससे ससमय मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली को टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके तथा भुगतान हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपने विभाग के खाते का विवरण उपलब्ध कराये, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

19.02.2025
अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा

पत्रांकः– /स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना–प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पचंदषम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
गोण्डा

E:\Computer_Operator\Camp.doc